



541/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 11620/28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक 08 मार्च 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखनऊ।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आई०डी०बी०आई० बैंक	0277104000181624	IFSC Code IBKL0000277	177.204

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत जलालपुर में कोतवाल सिंह के मकान से बगिया तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	4.929	100%
2	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत जलालपुर में रामेश्वर विद्यालय से सलीम व ईश्वरदीन के मकान होते हुए अब्दुल हामिद के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	22.403	100%
3	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	आलमनगर वार्ड में जलालपुर में दिनेश सिंह के मकान के पास दीपक के मकान से मो० आरिफ ईश्वरीलाल के मकान से काली जी मन्दिर एवं राम कुमार एवं सलीम की गली में नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	4.502	100%
4	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	वार्ड नं० 09 बदालीखेड़ा (पार्ट-ए) बस्ती में श्रीराम कुमार के घर से अरविन्द कनौजिया के घर तक एवं भोलानाथ के घर से जे०एम० दोहरे के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	13.061	100%
5	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	वार्ड नं० 09 बदालीखेड़ा पार्ट-सी बस्ती (जागृति विहार) में कृष्ण चौधरी के घर से वीरपाल यादव एवं प्रेमा चौधरी के घर वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	10.516	100%



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

541/2

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
6	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	वार्ड नं० 09 बदालीखेड़ा पार्ट-बी बस्ती में संतराम के घर से ऊषा चौधरी के घर एवं शिवपाल वर्मा के घर से ननकू के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.248	100%
7	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	वार्ड नं० 09 बदालीखेड़ा पार्ट-डी बस्ती (जागृति विहार) लड्डू के घर से सीताराम के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	9.769	100%
8	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	वार्ड नं० 09 बदालीखेड़ा पार्ट-ई बस्ती में महेश कुमार के घर से रामशंकर, राजीव के घर से पप्पू के घर, महेश के घर से संजय के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	16.077	100%
9	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	वार्ड नं० 09 बदालीखेड़ा पार्ट-एफ बस्ती में छेदालाल के घर से श्रीमती उर्मिला पाल के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	5.694	100%
10	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	वार्ड नं० 09 बदालीखेड़ा पार्ट-जी बस्ती में रोशन लाल के घर से शिवशंकर वर्मा एवं पास की गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.043	100%
11	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	वार्ड नं० 09 बदालीखेड़ा पार्ट-आई में विजय कुमार शर्मा के घर से रामजी कुशवाहा के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	7.278	100%
12	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	वार्ड नं० 09 बदालीखेड़ा के पार्ट-एच (जागृति विहार) दीपक बाजपेई के घर से लड्डू के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	6.175	100%
13	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	इस्माईलगंज द्वितीय के अन्तर्गत कमता चिनहट (विमल नगर) में बृजनाथ मौर्या, प्रभुनाथ, रमेश एवं विजय की गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.111	100%
14	लखनऊ	म०ब०-83	न०प० बक्शी का तालाब	रुदही द्वितीय गांव में दुर्गापुरम कालोनी में प्रतीक्षा भवन से मृत्युंजय के मकान होते हुए छोटेलाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	7.892	100%
15	लखनऊ	म०ब०-83	न०प० बक्शी का तालाब	नंदना गांव में भुइयन देवी मन्दिर से अमित के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली का कार्य।	12.821	100%
16	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत कुमार पुरम् में श्री राम बेकरी से आर०एन०सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	25.685	100%
	योग				177.204	



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

